उत्पाद-शुल्क

धारा 5क का संशोधन। **75.** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (जिसे इसमें इसके पश्चात् केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 5क की उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— 1944 का 1

"(1क) शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषणा की जाती है कि जहां उपधारा (1) के अधीन कोई छूट, किसी उत्पाद-शुल्क्य माल के संबंध में उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से, आत्यंतिक रूप से मंजूर कर दी गई है, वहां ऐसे उत्पाद-शुल्क्य माल का विनिर्माता, ऐसे माल पर उत्पाद-शुल्क का संदाय नहीं करेगा ।"।

धारा 23क का संशोधन। **76.** केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 23क में,—

(क) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(ग) "आवेदक" से अभिप्रेत है,—

(i) (क) कोई ऐसा अनिवासी जो किसी अनिवासी या किसी निवासी के सहयोग से भारत में कोई संयुक्त उद्यम स्थापित कर रहा है; या

(ख) कोई ऐसा निवासी जो किसी अनिवासी के सहयोग से भारत में कोई संयुक्त उद्यम स्थापित कर रहा है; या

(ग) पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी भारतीय कंपनी जिसकी धारक कंपनी कोई विदेशी कंपनी है,

यथास्थिति, जो या जिसने भारत में कोई कारबारी क्रियाकलाप करने का प्रस्ताव करता है या किया है ;

(ii) भारत में कोई संयुक्त उद्यम ; या

(iii) व्यक्तियों के किसी ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के अंतर्गत आने वाला ऐसा कोई निवासी है, जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे,

यथास्थिति, जिसने या जो धारा 23ग की उपधारा (1) के अधीन अग्रिम विनिर्णय के लिए आवेदन या किया है या करता है ;';

(ख) खंड (ग) में, "अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण" शब्दों के स्थान पर, "अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सेवा-कर)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

धारा 32तक का संशोधन। **77.** केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32तक में,—

(क) उपधारा (6) में, "धारा 32च" शब्द, अंकों और अक्षर के स्थान पर, "धारा 32च और धारा 32ठ की उपधारा (1)" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (7) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(8) समझौता आयोग, यदि उसकी यह राय है कि किसी व्यक्ति ने, जिसने इस धारा के अधीन आवेदन किया है, उसके समक्ष कार्यवाहियों में उसके साथ सहयोग नहीं किया है तो वह मामले को अपील अधिकरण में वापस भेज सकेगा और तदनुसार धारा 35ख, धारा 35ग तथा धारा 35घ में अंतर्विष्ट उपबंध, जहां तक हो सके, लागू होंगे ।" ।

धारा 35क का संशोधन। **78.** केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35क की उपधारा (5) में, "केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त" शब्दों के स्थान पर "मुख्य केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 35ख का संशोधन। **79.** केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35ख में,—

(क) उपधारा (1क) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1ख) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अधीन इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक समिति का गठन कर सकेगा जो दो मुख्य केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्तों से मिलकर बनेगी । "; 1963 का 54

(ख) उपधारा (2) में,—

(i) "यदि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त की यह राय है" शब्दों के स्थान पर "यदि मुख्य केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्तों की समिति की यह राय है" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "उसकी ओर से" शब्दों के स्थान पर "इसकी ओर से" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 35ङ का संशोधन। **80.** केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35ङ में उपधारा (1) और उपधारा (3) में आने वाले "बोर्ड" शब्द के स्थान पर "केन्द्रीय मुख्य उत्पाद-शुल्क आयुक्तों की समिति" शब्द रखे जाएंगे ।

तीसरी अनुसूची के स्थान पर नई अनुसूची का प्रतिस्थापन।

81. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की तीसरी अनुसूची के स्थान पर तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसूची रखी जाएगी ।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 का संशोधन।

82. (1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 में,—

(क) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में भारत सरकार की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 324(अ), तारीख 23 जुलाई, 1996 द्वारा राजपत्र में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (तीसरा संशोधन) नियम, 1996 द्वारा अंतःस्थापित किया गया नियम 57गग ;

(ख) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में भारत सरकार की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 122(अ), तारीख 1 मार्च, 1997 द्वारा राजपत्र में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (संशोधन) नियम, 1997 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया नियम 57गग ; और

(ग) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में भारत सरकार की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 203(अ), तारीख 1 मार्च, 2000 द्वारा राजपत्र में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (दूसरा संशोधन) नियम, 2000 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया नियम 57घ, जैसा वह वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में भारत सरकार की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 298(अ), तारीख 31 मार्च, 2000 द्वारा राजपत्र में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (दूसरा संशोधन) नियम, 2000 के नियम 5 द्वारा नियम 57कघ के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है,

संशोधित हो जाएगा और चौथी अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट रीति में, उस अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक नियम के सामने उस अनुसूची के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी तारीख से ही भूतलक्षी रूप से संशोधित किया गया समझा जाएगा।

(2) उपधारा (1) द्वारा यथासंशोधित नियम के अधीन 1 अगस्त, 1996 से ही आरंभ होने वाली और 30 जून, 2001 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी भी समय की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्रवाई या बात सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप से और प्रभावी रूप से की गई और सदैव इस प्रकार की गई समझी जाएगी, मानो उपधारा (1) द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में था और तदनुसार किसी न्यायालय, अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) कोई वाद या अन्य कार्यवाहियां उपधारा (1) द्वारा यथासंशोधित नियम के अधीन रकम की वसूली के लिए केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी के विरुद्ध, यथास्थिति, किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण में संस्थित नहीं की जाएंगी, चालू या जारी नहीं रखी जाएंगी और उक्त रकम की अवसूली के लिए किसी न्यायालय द्वारा किसी डिक्री या आदेश का प्रवर्तन इस प्रकार नहीं किया जाएगा मानो उस उपधारा द्वारा किए गए संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में रहे थे ;

(ख) उस दिन से, जिसको वित्त विधेयक, 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, तीस दिन की अवधि के भीतर उस रकम की वसूली की जाएगी, जो संदत्त नहीं की गई है किन्तु जो तब संदत्त की गई होती यदि उपधारा (1) द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में रहा होता ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अतिक्रमण के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार को, उस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, भूतलक्षी रूप से इस प्रकार नियम बनाने की शक्ति होगी और यह समझा जाएगा कि उसे इस प्रकार शक्ति है मानो सभी तात्त्विक समयों पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 के अधीन केन्द्रीय सरकार को भूतलक्षी रूप से नियम बनाने की शक्ति थी ।

स्पष्टीकरण— शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से ऐसा कोई कार्य या लोप अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा, जो इस प्रकार दंडनीय नहीं होता यदि यह धारा प्रवर्तन में नहीं आई होती ।

केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2001 के नियम 6 का संशोधन।

83. (1) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2001 में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सा. का. नि. सं. 445(अ), तारीख 21 जून, 2001 द्वारा राजपत्र में यथा प्रकाशित उसका नियम 6, पांचवी अनुसूची के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट रीति में, उस अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक नियम के सामने उस अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी तारीख से ही भूतलक्षी रूप से संशोधित हो जाएगा और संशोधित किया गया समझा जाएगा ।

(2) उपधारा (1) द्वारा यथा संशोधित नियम के अधीन 1 जुलाई, 2001 से ही प्रारंभ होने वाली और 28 फरवरी, 2002 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय की गई कोई कार्रवाई या कोई बात या की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्रवाई या बात सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप से और प्रभावी रूप से इस प्रकार की गई और सदैव की गई समझी जाएगी मानो उपधारा (1) द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में रहा था, और तदनुसार किसी न्यायालय, अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) कोई वाद या अन्य कार्यवाहियां उपधारा (1) द्वारा यथा संशोधित नियम के अधीन रकम की वसूली के लिए केंद्रीय सरकार या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी के विरुद्ध, यथास्थिति, किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण में संस्थित नहीं की जाएगी, चालू या जारी नहीं रखी जाएगी और उक्त रकम की वसूली न करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा किसी डिक्री या आदेश को प्रवर्तन में नहीं लाया जाएगा मानो उस उपधारा द्वारा किए गए संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में रहे थे ;

(ख) उस दिन से जिसको वित्त विधेयक, 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, तीस दिन की अवधि के भीतर, उस रकम की वसूली की जाएगी, जो संदत्त नहीं की गई है किंतु जो तब संदत्त की गई होती यदि उपधारा (1) द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में रहा होता ।

(3) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2001 के अतिक्रमण के होते हुए भी केंद्रीय सरकार को उस धारा के प्रयोजनों के लिए, भूतलक्षी रूप से इस प्रकार नियम बनाने की शक्ति होगी और यह समझा जाएगा कि उसे इस प्रकार शक्ति है मानो सभी तात्त्विक समयों पर केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 के अधीन केंद्रीय सरकार को भूतलक्षी रूप से नियम बनाने की शक्ति थी ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य या लोप अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा जो इस प्रकार दंडनीय होता यदि यह धारा प्रवर्तन में नहीं आई होती ।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क के अधीन जारी अधिसूचना का संशोधन।

84. (1) केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क की उपधारा (1) के अधीन जारी वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में भारत सरकार की अधिसूचना सा.का.नि. सं. 277(अ), तारीख 1 मार्च, 1988 और 21 फरवरी, 2000 से आरंभ होने वाली और 28 फरवरी, 2003 तक (इसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं) की अवधि के लिए छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में, संशोधित हो जाएंगी और भूतलक्षी रूप से, संशोधित की गई समझी जाएंगी और तदनुसार किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, उक्त अधिसूचना के अधीन की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी कार्रवाई या किसी बात के बारे में यह समझा जाएगा कि वह सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप से या प्रभावी रूप से इस प्रकार की गई है और सदैव की गई थी, मानो इस उपधारा द्वारा यथासंशोधित अधिसूचना सभी तात्त्विक समयों में प्रवर्तन में रही थी ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, केंद्रीय सरकार को उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अधिसूचना को भूतलक्षी रूप से संशोधित करने की शक्ति होगी और यह समझा जाएगा कि उसको इसी प्रकार यह शक्ति है मानो केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क की उपधारा (1) के अधीन उक्त अधिसूचना को भूतलक्षी रूप से, संशोधित करने की शक्ति सभी तात्त्विक समयों पर केंद्रीय सरकार को थी।

(3) ऐसे शुल्क या ब्याज या शास्ति या जुर्माने या अन्य प्रभारों की सभी ऐसी रकमों की, जो, यथास्थिति, संगृहीत नहीं की गई हैं या जिनके लिए उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11क के अधीन मांग सूचनाएं जारी की गई हैं या धारा 11 के अधीन वसूली की कार्यवाही आरंभ की गई है, कोई वसूली नहीं की जाएगी मानो उपधारा (1) द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तित था ।

(4) ऐसे सभी शुल्कों को, जो संगृहीत किए गए हैं किन्तु जो इस प्रकार संगृहीत नहीं किए गए होते यदि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11ख के उपबंधों के अधीन रहते हुए उपधारा (1) में निर्दिष्ट संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में होता ।

(5) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11ख में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उपधारा (4) के अधीन केन्द्रीय उत्पाद-शुल्कों के दावे के लिए कोई आवेदन उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, एक मास के भीतर किया जाएगा ।

अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (पान मसाला और कतिपय तम्बाकू उत्पाद) ।

85. (1) सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल की दशा में जो भारत में उत्पादित या विनिर्मित माल है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उपबंध करने और उसका वित्तपोषण करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए संघ के प्रयोजनों के लिए उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से स्वास्थ्य के नाम से एक अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क अधिभार उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा ।

(2) अनुसूची में केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे माल पर प्रभार्य किसी अन्य उत्पाद-शुल्क के अतिरिक्त होगा ।

(3) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध, जिनमें वे उपबंध सम्मिलित हैं जो शुल्कों के प्रतिदाय और छूट तथा शास्ति के अधिरोपण से संबंधित हैं, सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल के संबंध में इस धारा के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण को इस प्रकार लागू होंगे जैसे वे, यथास्थिति, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम या नियमों के अधीन ऐसे माल पर उत्पाद-शुल्कों के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में लागू होंगे ।

उत्पाद-शुल्क टैरिफ

पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची का संशोधन।

86. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (जिसे इसमें इसके पश्चात् केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है) की,— 1986 का 5

(क) पहली अनुसूची का आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन किया जाएगा ;

(ख) दूसरी अनुसूची का नवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन किया जाएगा ।

पहली अनुसूची के अध्याय 15 का संशोधन।

87. (1) अध्याय 15 में, टिप्पण 4 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 मार्च, 1986 से ही आरंभ होने वाली और 28 फरवरी, 2005 को समाप्त होने वाली अवधि (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं) के लिए अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :— 1986 का 5

'5. शीर्ष सं0 15.02 या शीर्ष 15.03 के अंतर्गत आने वाले परिष्कृत खाद्य वनस्पति तेलों के संबंध में, परिष्करण की प्रक्रिया अर्थात् ऐसी प्रक्रिया में से कोई एक या अधिक प्रक्रियाएं अर्थात् किसी क्षार, विरंजन और गंधारण के साथ अपरिष्कृत तेल का उपचार, "विनिर्माण" की कोटि में आएंगी ।' ।

(2) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम के अधीन 1 मार्च, 1986 से ही प्रारंभ होने वाली और 28 फरवरी, 2005 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं) (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस खंड में उक्त अवधि कहा गया है), किसी समय की गई कोई कार्रवाई या कोई बात या की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्रवाई या बात सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य और प्रभावी रूप से इस प्रकार की गई और सदैव की गई समझी जाएगी मानो उपखंड (1) द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में रहा था, और तदनुसार किसी न्यायालय, अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम के अधीन उक्त अवधि के दौरान किन्हीं उत्पाद-शुल्क्य माल पर उद्गृहीत, निर्धारित या संगृहीत सभी उत्पाद-शुल्क सदैव विधिमान्य रूप से उद्गृहीत, निर्धारित या संगृहीत किए गए समझे जाएंगे मानो उपखंड (1) द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में रहा था ;

(ख) ऐसे उत्पाद-शुल्क के जो संगृहीत किया गया है और जो विधिमान्य रूप से संगृहीत किया गया होता यदि उपधारा (1) द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्त्विक समयों में प्रवृत्त रहा होता, प्रतिदाय के लिए कोई वाद या अन्य कार्यवाहियां किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण में संस्थित नहीं की जाएगी, चालू या जारी नहीं रखी जाएगी और उक्त रकम की किसी न्यायालय द्वारा किसी डिक्री या प्रतिदाय का निदेश देते हुए आदेश को प्रवर्तन में नहीं लाया जाएगा ।

(3) अध्याय (1) के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार को उक्त धारा में निर्दिष्ट अध्याय को भूतलक्षी रूप से इस प्रकार संशोधित करने की शक्ति होगी और यह समझा जाएगा कि उसे इस प्रकार की शक्ति है मानो सभी तात्त्विक समयों पर केंद्रीय सरकार को उक्त अध्याय को भूतलक्षी रूप से संशोधन करने की शक्ति थी ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से किया गया कोई कार्य या लोप अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा जो इस प्रकार दंडनीय होता यदि यह धारा प्रवर्तन में नहीं आई होती ।